

॥ शीतलीकृत दुग्ध विक्रय हेतु निविदा ॥

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य :- रू. 1,000/- का डिमांड ड्राफ्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को रायपुर में देय हो संलग्न करना होगा। यह राशि वापसी योग्य नहीं है।
2. निविदा क्रमांक :- [6687/छ.ग.दु.म.स/विपण/2019उरला](#), दिनांक 05.12.2019
3. निविदा प्रकाशन तिथि :- 06/12/2019
4. समाचार पत्र :- दैनिक भास्कर, छत्तीसगढ़ संस्करण।
5. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- दिनांक 30/12/2019, अपरान्ह 12:30 बजे तक।
6. धरोहर राशि :- दुग्ध महासंघ मर्या. की प्रत्येक ईकाई हेतु पृथक-पृथक रूपये 10,000/- (अक्षरी रू. दस हजार मात्र) वापसी/समायोजन योग्य। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. निविदा प्रस्तुत करने का स्थान :- दुग्ध संयंत्र उरला, जिला दुर्ग (छ0ग0)
8. न्यूनतम मात्रा :- एक बार में न्यूनतम 1000 लीटर।
9. दुग्ध दर :- प्रति किलो. ठोस के आधार पर दी जानी है।
10. गुणवत्ता (औसतन) :- फैट 4.0 प्रतिशत, एस.एन.एफ 8.5 प्रतिशत।
11. उपलब्धता :- दूध छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ की निम्नलिखित ईकाईओं में उपलब्ध है :-
क- दुग्ध संयंत्र उरला, दुर्ग।
ख- दुग्ध संयंत्र कोनी, बिलासपुर।
ग- दुग्ध संयंत्र कोतरा रोड़, रायगढ़।
घ- दुग्ध शीत केन्द्र मुजगहन, धमतरी।
ज- दुग्ध शीत केन्द्र बसना, महासमुंद।
च- दुग्ध संयंत्र बाबू सेमरा, जगदलपुर।
छ- दुग्ध शीत केन्द्र पखांजूर।
ज- दुग्ध शीत केन्द्र भाठागाँव, धमतरी।
12. भुगतान विधि :- सम्पूर्ण दूध की मात्रा का अग्रिम भुगतान किया जाना होगा।
13. परिवहन व्यवस्था :- अपने व्यय पर स्वयं की व्यवस्था से।
14. कर/अनुज्ञप्ति :- क्रेता को अपने व्यय पर वहन/प्राप्त करने होंगे।
15. वैधता :- दरें न्यूनतम 3 माह के लिए वैध होना आवश्यक होगा।
16. अन्य :- दूध की मात्रा तथा गुणवत्ता जो कि प्रदायगी के समय दर्ज की गयी है, अंतिम होगी। क्रेता अपना प्रतिनिधि प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

॥ संसाधित दुग्ध विक्रय हेतु निविदा ॥

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य :- रू. 1,000/- का डिमांड ड्राफ्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को रायपुर में देय हो संलग्न करना होगा। यह राशि वापसी योग्य नहीं है।
2. निविदा क्रमांक :- [6687/छ.ग.दु.म.स/विपण/2019उरला](#), दिनांक 05.12.2019
3. निविदा प्रकाशन तिथि :- 06/12/2019
4. समाचार पत्र :- दैनिक भास्कर, छत्तीसगढ़ संस्करण।
5. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- दिनांक 30/12/2019, अपरान्ह 12:30 बजे तक।
6. धरोहर राशि :- दुग्ध महासंघ मर्या. की प्रत्येक ईकाई हेतु पृथक-पृथक रूपये 10,000/- (अक्षरी रू. दस हजार मात्र) वापसी/समायोजन योग्य। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. निविदा प्रस्तुत करने का स्थान :- दुग्ध संयंत्र उरला, जिला दुर्ग (छ0ग0)
8. न्यूनतम मात्रा :- एक बार में न्यूनतम 1000 लीटर।
9. दुग्ध दर :- प्रति किलो. ठोस के आधार पर दी जानी है।
10. गुणवत्ता (औसतन) :- फैट 4.0 प्रतिशत, एस.एन.एफ 8.5 प्रतिशत।
11. उपलब्धता :- दूध छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ की निम्नलिखित ईकाईओं में उपलब्ध है :-
क- दुग्ध संयंत्र उरला, दुर्ग।
ख- दुग्ध संयंत्र कोनी, बिलासपुर।
ग- दुग्ध संयंत्र कोतरा रोड़, रायगढ़।
घ- दुग्ध संयंत्र बाबू सेमरा, जगदलपुर।
12. भुगतान विधि :- सम्पूर्ण दूध की मात्रा का अग्रिम भुगतान किया जाना होगा।
13. परिवहन व्यवस्था :- अपने व्यय पर स्वयं की व्यवस्था से।
14. कर/अनुज्ञप्ति :- क्रेता को अपने व्यय पर वहन/प्राप्त करने होंगे।
15. वैधता :- दरें न्यूनतम 3 माह के लिए वैध होना आवश्यक होगा।
16. अन्य :- दूध की मात्रा तथा गुणवत्ता जो कि प्रदायगी के समय दर्ज की गयी है, अंतिम होगी। क्रेता अपना प्रतिनिधि प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

॥ शीतलीकृत दुग्ध विक्रय हेतु निविदा ॥

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य :- रू. 1,000/- का डिमांड ड्राफ्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को रायपुर में देय हो संलग्न करना होगा। यह राशि वापसी योग्य नहीं है।
2. निविदा क्रमांक :- [6687/छ.ग.दु.म.स/विपण/2019उरला](#), दिनांक 05.12.2019
3. निविदा प्रकाशन तिथि :- 06/12/2019
4. समाचार पत्र :- दैनिक भास्कर, छत्तीसगढ़ संस्करण।
5. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- दिनांक 30/12/2019, अपरान्ह 12:30 बजे तक।
6. धरोहर राशि :- दुग्ध महासंघ मर्या. की प्रत्येक ईकाई हेतु पृथक-पृथक रूपये 10,000/- (अक्षरी रू. दस हजार मात्र) वापसी/समायोजन योग्य। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. निविदा प्रस्तुत करने का स्थान :- दुग्ध संयंत्र उरला, जिला दुर्ग (छ0ग0)
8. न्यूनतम मात्रा :- एक बार में न्यूनतम 1000 लीटर।
9. दुग्ध दर :- प्रति किलो. ठोस के आधार पर दी जानी है।
10. गुणवत्ता (औसतन) :- फ़ैट 4.0 प्रतिशत, एस.एन.एफ 8.5 प्रतिशत।
11. उपलब्धता :- दूध छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ की निम्नलिखित ईकाईओं में उपलब्ध है :-
क- दुग्ध संयंत्र उरला, दुर्ग।
ख- दुग्ध संयंत्र कोनी, बिलासपुर।
ग- दुग्ध संयंत्र कोतरा रोड़, रायगढ़।
घ- दुग्ध शीत केन्द्र मुजगहन, धमतरी।
ज- दुग्ध शीत केन्द्र बसना, महासमुंद।
च- दुग्ध संयंत्र बाबू सेमरा, जगदलपुर।
छ- दुग्ध शीत केन्द्र पखांजूर।
ज- दुग्ध शीत केन्द्र भाठागॉव, धमतरी।
12. भुगतान विधि :- सम्पूर्ण दूध की मात्रा का अग्रिम भुगतान किया जाना होगा।
13. परिवहन व्यवस्था :- अपने व्यय पर स्वयं की व्यवस्था से।
14. कर/अनुज्ञप्ति :- क्रेता को अपने व्यय पर वहन/प्राप्त करने होंगे।
15. वैधता :- दरें न्यूनतम 3 माह के लिए वैध होना आवश्यक होगा।
16. अन्य :- दूध की मात्रा तथा गुणवत्ता जो कि प्रदायगी के समय दर्ज की गयी है, अंतिम होगी। क्रेता अपना प्रतिनिधि प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

॥ संसाधित दुग्ध विक्रय हेतु निविदा ॥

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य :- रू. 1,000/- का डिमांड ड्राफ्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को रायपुर में देय हो संलग्न करना होगा। यह राशि वापसी योग्य नहीं है।
2. निविदा क्रमांक :- [6687/छ.ग.दु.म.स/विपण/2019उरला](#), दिनांक 05.12.2019
3. निविदा प्रकाशन तिथि :- 06/12/2019
4. समाचार पत्र :- दैनिक भास्कर, छत्तीसगढ़ संस्करण।
5. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- दिनांक 30/12/2019, अपरान्ह 12:30 बजे तक।
6. धरोहर राशि :- दुग्ध महासंघ मर्या. की प्रत्येक ईकाई हेतु पृथक-पृथक रूपये 10,000/- (अक्षरी रू. दस हजार मात्र) वापसी/समायोजन योग्य। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. निविदा प्रस्तुत करने का स्थान :- दुग्ध संयंत्र उरला, जिला दुर्ग (छ0ग0)
8. न्यूनतम मात्रा :- एक बार में न्यूनतम 1000 लीटर।
9. दुग्ध दर :- प्रति किलो. ठोस के आधार पर दी जानी है।
10. गुणवत्ता (औसतन) :- फैट 4.0 प्रतिशत, एस.एन.एफ 8.5 प्रतिशत।
11. उपलब्धता :- दूध छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ की निम्नलिखित ईकाईओं में उपलब्ध है :-
क- दुग्ध संयंत्र उरला, दुर्ग।
ख- दुग्ध संयंत्र कोनी, बिलासपुर।
ग- दुग्ध संयंत्र कोतरा रोड़, रायगढ़।
घ- दुग्ध संयंत्र बाबू सेमरा, जगदलपुर।
12. भुगतान विधि :- सम्पूर्ण दूध की मात्रा का अग्रिम भुगतान किया जाना होगा।
13. परिवहन व्यवस्था :- अपने व्यय पर स्वयं की व्यवस्था से।
14. कर/अनुज्ञप्ति :- क्रेता को अपने व्यय पर वहन/प्राप्त करने होंगे।
15. वैधता :- दरें न्यूनतम 3 माह के लिए वैध होना आवश्यक होगा।
16. अन्य :- दूध की मात्रा तथा गुणवत्ता जो कि प्रदायगी के समय दर्ज की गयी है, अंतिम होगी। क्रेता अपना प्रतिनिधि प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

छ.ग.राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो-बी0एम0वा0चरौदा, जिला-दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक / 6687 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2019

उरला, दिनांक : 05.12.2019

॥ बल्क दूध विक्रय हेतु निविदा ॥

निविदा सहपत्रों की सूची :-

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा	1 पृष्ठ
2.	निविदा प्रपत्र की सामान्य जानकारी	1 पृष्ठ
3.	निविदा प्रपत्र क्रमांक 1, आवश्यक शर्तें	3 पृष्ठ
4.	निविदा प्रपत्र क्रमांक 2, तकनीकी अर्हताएं	2 पृष्ठ
5.	निविदा प्रपत्र क्रमांक 3, भाव पत्र	1 पृष्ठ
6.	निविदा प्रपत्र क्रमांक 4 शर्तों का प्रारूप	4 पृष्ठ
	कुल	12 पृष्ठ

कार्यालय – छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम–उरला, पो–बी०एम०वाय०चरोदा जिला – दुर्ग (छ०ग०)

क्रमांक / 6687 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2019

उरला, दिनांक : 05.12.2019

॥ बल्क दुग्ध विक्रय हेतु निविदा ॥

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ अपनी विभिन्न ईकाईयों से शीतलीकृत/संसाधित दूध स्वयं की परिवहन व्यवस्था से अग्रिम राशि के विरुद्ध विक्रय किये जाने हेतु इच्छुक क्रेताओं से प्रतिकिलो टोस के आधार पर दर आमंत्रित करता है। दिनांक 30.12.2019 दोपहर 12:30 बजे तक धरोहर राशि रू0 10,000/- के साथ प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करे। अन्य विस्तृत विवरण दुग्ध महासंघ की वेबसाइट www.cgcoopdairyfed.in पर उपलब्ध है।

प्रबंध संचालक

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम-उरला, पो-बी०एम०वाय० चरोदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक / 6687 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2019

उरला, दिनांक : 05.12.2019

बल्क दूध विक्रय हेतु निविदा हेतु निविदा प्रपत्र की सामान्य जानकारी

1.	निविदा प्रपत्र विक्रय आरंभ करने की तिथि एवं समय	05/12/2019 प्रातः 11:00 बजे से
2.	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	30/12/2019 सुबह 11:30 बजे तक
3.	निविदा जमा करने की तिथि एवं समय	30/12/2019 दोपहर 12:30 बजे तक
4.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	30/12/2019 दोपहर 3:30 बजे
5.	निविदा के साथ जमा की जाने वाली ई.एम.डी राशि	ई.एम.डी. राशि रुपये 10,000/- का डी.डी. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को रायपुर में देय।
6.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रुपये 1000/- (एक हजार रु. मात्र)
7.	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ग्राम-उरला-बी०एम०वाय० चरोदा, जिला : दुर्ग (छ०ग०)
8.	धरोहर राशि (ई०एम०डी०)	लिफाफा "A"
9.	दुग्ध परिवहन कर्ता कार्य हेतु तकनीकी अर्हताएं का प्रारूप एवं सामान्य शर्तें	प्रपत्र 01 एवं 02 लिफाफा "B"
10.	भाव पत्र/दरें प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र- 03 लिफाफा "C"
11.	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र - 04

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- धरोहर राशि ई.एम.डी. का डी.डी. भौतिक रूप से एक अलग लिफाफा रखे। जिस पर लिफाफा "A" लिखा जाए।
- प्रपत्र क्रमांक 01 "निविदा की शर्तें" तथा प्रपत्र क्रमांक 02 "तकनीकी अर्हताएं" एवं प्रपत्र क्रमांक 04 "अनुबंध की शर्तें" सहमति हस्ताक्षर के साथ एक ही बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर लिफाफा "B" -प्रपत्र 1" निविदा की शर्तें" एवं प्रपत्र 2 तकनीकी अर्हताएं एवं प्रपत्र 4 अनुबंध का प्रारूप लिखा जावे।
- प्रपत्र क्रमांक 03 "भाव पत्र/दर" एक अलग लिफाफा - लिफाफा "C" में प्रस्तुत किया जावे। प्रत्येक दस्तावेज पृष्ठ पर निविदाकार के हस्ताक्षर होना जरूरी है।
- उक्त तीनों "A", "B" और "C" बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर कार्यालय में दिनांक 30/12/2019 को दोपहर 12:30 बजे तक जमा की जावे। पहले धरोहर राशि का लिफाफा खोला जावेगा। उपयुक्त धरोहर राशि प्राप्त होने पर "तकनीकी अर्हताएं" तथा निविदा / अनुबंध शर्तों का लिफाफा खोला जावेगा। तकनीकी अर्हताएं में सफल निविदाकर्ताओं की ही प्राप्त दरें खोली जाएंगी।
- निविदा प्रपत्र क्रमांक 01 एवं 04 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्तें मान्य नहीं की जावेगी।
- प्रपत्र 03 जिसमें दरें संलग्न होगी सिर्फ और सिर्फ इसी प्रारूप में स्वीकृत होंगी।

टिप्पणी :-

1. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनैशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेगी।
2. निविदा कार्य अवधि :- दरें दिनांक 01.01.2020 से न्यूनतम 3 माह के लिए प्रभावी होना आवश्यक होगा।

बल्क दुग्ध विक्रय हेतु निविदा नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें

क्रमांक/6687/छ.ग.दु.म.सं./विपणन/2019

उरला, दिनांक : 05.12.2019

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा अतिशेष दूध के बल्क में विक्रय हेतु खुली निविदा क्रमांक [6687/छ.ग.दु.म.सं./विपणन/2019](#) उरला, दिनांक 05.12.2019 द्वारा औसतन 4 प्रतिशत फ़ैट एवं 8.5 प्रतिशत एस.एन.एफ. के शीतलीकृत/संसाधित दूध को स्वयं की व्यवस्था से एक बार में न्यूनतम 1000 लीटर मात्रा क्रय किये जाने के लिए निविदा प्रकाशित की गई है। दूध की प्रदायगी संबंधित संयंत्र/शीत केन्द्र में अतिशेष दूध उपलब्ध होने पर ही की जावेगी।
2. क्रेता यदि शीतलीकृत एवं संसाधित दोनों प्रकार का दूध क्रय करना चाहता है तो उसे पृथक-पृथक निविदाएं प्रस्तुत करनी होंगी। निविदा में दूध किस स्थान से लेना चाहते हैं, का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। एक से अधिक स्थानों से दूध क्रय हेतु पृथक-पृथक निविदाएं प्रस्तुत करनी होंगी।
3. क्रेता के पास जी.एस.टी. पंजीयन एवं खाद्य लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
4. क्रेता द्वारा प्रस्तुत दर दिनांक 01.01.2020 से 31.03.2020 तक के लिए प्रभावी होना आवश्यक होगा।
5. स्वीकृत दरों पर दिनांक 01.01.2020 से 31.03.2020 तक दूध की आपूर्ति की जावेगी। उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् आपसी सहमति से आगामी अवधि के लिये प्रदायगी एक बार में अधिकतम छः माह के लिये बढ़ाई जा सकेगी।
6. निविदा प्रपत्र रु. 1000/- के नगद/छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान करते हुये कार्यालयीन समय में दिनांक 05/12/2019 से 30/12/2019 सुबह 11:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की वेब साईट www.cgcoopdairyfed.in से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 1000/- का उपरोक्तानुसार डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत निविदा के लिफाफे "A" में मूलतः रखा जाना आवश्यक होगा।
7. निविदाकार आवेदक को निविदा के साथ रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार रु. मात्र) डी.डी. अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। डी.डी. " छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित", के नाम पर रायपुर में देय बनाया जाए। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदक की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। निविदा स्वीकृति होने पर अर्नेस्ट मनी अमानत राशि में समायोजित हो जावेगी।
8. निविदाकार को निविदा प्रपत्र में दरें केवल निर्धारित प्रपत्र में ही भरनी होंगी। दरें अंको में एवं शब्दों में प्रस्तुत करना होगा। यदि अंको एवं शब्दों में प्रस्तुत दर में कोई अन्तर पाया जाता है तो शब्दों में लिखी दर को मान्य किया जाएगा।
9. आवश्यकता प्रतिपादित होने पर अधिकतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से निगोसिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
10. निविदा स्वीकृत की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण कर निर्धारित प्रारूप अनुसार रूपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
11. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में क्रेता द्वारा धरोहर राशि के रूप में रु. 2,00,000/- (अक्षरी राशि रु. दो लाख मात्र) महासंघ को जमा करनी होगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। इस राशि में इ.एम.डी. के रूप में जमा की गई रु. 10,000/- की राशि धरोहर राशि में समायोजित की जा सकेगी। धरोहर राशि अनुबंध अवधि समाप्त होने पर समस्त लेखों का मिलान कर एक माह के भीतर वापस की जावेगी।

12. क्रेता द्वारा अपनी स्वयं की उपयुक्त परिवहन व्यवस्था से दूध का परिवहन दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र से करना होगा। इस हेतु महासंघ द्वारा कोई परिवहन व्यय/राशि देय नहीं होगी। दूध का वास्तविक वजन तौल कौटा या अन्य उपयुक्त साधन से क्रेता या उसके प्रतिनिधि के समक्ष रिकार्ड किया जावेगा। इस पर कोई भी आपत्ति होने पर क्रेता को दूध संयंत्र/शीत केन्द्र परिसर से बाहर ले जाने के पूर्व इसे व्यक्त करना होगा। इसी प्रकार दूध की गुणवत्ता क्रेता/उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में देखी जावेगी। क्रेता/प्रतिनिधि के प्रदायगी के समय उपस्थित न होने पर महासंघ द्वारा दर्ज मात्रा/गुणवत्ता यथा फ़ैट, एस.एन.एफ. एसीडीटी. एम. बी.आर एवं अन्य किसी मानक पर असहमत होने पर क्रेता को दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र में ही दूध संयंत्र से बाहर निकलने से पूर्व आपत्ति दर्ज करानी होगी। दूध की सुपुर्दगी लेने एवं संयंत्र छोड़ने के बाद दूध की मात्रा और/या गुणवत्ता संबंधी कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। मात्रा के निर्धारण के लिये तौल काटा/अन्य व्यय क्रेता को वहन करने होंगे।
13. दूध की राशि/दर इसकी गुणवत्ता के आधार पर प्रति किलोग्राम ठोस पर तय की जावेगी।
14. कांडिका क्रमांक 13 पर दर्ज दर महासंघ को प्राप्त दूध का मूल्य है। क्रेता के कर एवं अन्य दायित्व की जवाबदेही उसकी स्वयं की है, एवं प्राप्त मूल्य में यह शामिल नहीं है। इस व्यवसाय हेतु वांछित लाइसेंस एवं अन्य वैधानिक अनुमोदन क्रेता को अपने व्यय से प्राप्त करने होंगे। महासंघ अनुबंध अवधि या इसके बाद भी किसी भी प्रकार की राशि/अर्थदण्ड/शास्ति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
15. दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र से निकलने के बाद किसी भी शासकीय संस्था या अन्य द्वारा सेम्पलिंग होने की स्थिति में जवाबदेही सिर्फ क्रेता की होगी। क्रेता महासंघ को ऐसी समस्त कार्यवाहियों से मुक्त रखेगा।
16. दुग्ध परिवहन की वाहनों से यदि संयंत्र/शीत केन्द्र में कोई नुकसान होता है, या किसी को इससे चोट लगती है, तो इसकी शत् प्रतिशत भरपाई क्रेता द्वारा की जावेगी। क्रेता/प्रतिनिधि को या उनकी वाहन को संयंत्र/शीत केन्द्र परिसर में यदि कोई क्षति होती है, तो इसकी समस्त जवाबदारी क्रेता की होगी।
17. सक्षम अधिकारी की अनुमति से क्रेता यदि दुग्ध संयंत्र संयंत्र/शीत केन्द्र की किसी सामग्री यथा कैन, क्रेट एवं टूल्स आदि इस्तेमाल करता है तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्रेता की होगी। इस्तेमाल सामग्री कम प्राप्त होने या टूटने-फूटने पर इसकी सम्पूर्ण भरपाई क्रेता द्वारा की जावेगी।
18. महासंघ क्रेता की मांग अनुसार दूध प्रदाय करने के पूरे प्रयास करेगा, परंतु अपरिहार्य स्थिति में यदि मांग अनुसार दूध की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो क्रेता इस पर कोई क्षतिपूर्ति दावा नहीं कर सकेगा।
19. दूध की प्रदायगी दिन पाली में ही कार्यालयीन समय में की जावेगी। क्रेता को इस हेतु महासंघ के प्रतिनिधियों से सतत् संपर्क में रहते हुये संयंत्र/शीत केन्द्र की सुविधा अनुसार टेंकर/वाहन संचालन की व्यवस्था करनी होगी।
20. दुग्ध परिवहन में लगी वाहनों तथा स्टाफ के समस्त कागजात वैधानिक रखना क्रेता की जिम्मेदारी होगी। इन कारणों से हुई किसी भी क्षति के लिये महासंघ जवाबदेय नहीं होगा।
21. क्रेता अपने स्टाफ के उचित आचरण के लिये उत्तरदायी होगा। अनुशासनहीनता की स्थिति में महासंघ स्वविवेक से अर्थदण्ड/अन्य कार्यवाही कर सकेगा, जिसे मानना क्रेता के लिए बंधनकारी होगा। महासंघ द्वारा आपत्ति व्यक्त करने पर क्रेता को तत्काल अपना स्टाफ बदलना आवश्यक होगा।
22. क्रेता को अपने मांग अनुसार दूध की राशि अनुमानित दर पर गणना करते हुये दूध प्रदायगी से पूर्व जमा करनी होगी। व्यवहारिक रूप से प्रदायगी के समय मात्रा एवं गुणवत्ता में अंतर पर इसकी राशि अगली प्रदायगी में समायोजित की जावेगी।
23. क्रेता को दूध की राशि इस प्रकार जमा करनी होगी कि दूध प्रदायगी से पूर्व राशि प्राप्त होना प्रमाणित हो सके। चेक द्वारा भुगतान किये जाने पर दूध की प्रदायगी चेक के रिलाइजेशन के बाद होगी।

24. क्रेता महासंघ से समस्त पत्र व्यवहार स्वयं करेगा एवं महासंघ द्वारा बुलाये जाने पर दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होगा। आवश्यक पत्राचार के लिये अनुबंध में दर्ज क्रेता के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया पत्र सूचना प्राप्त होने के प्रमाण के रूप में माना जावेगा।
25. संपूर्ण व्यवसाय अवधि एवं इसके बाद भी अनुबंध की गोपनीयता रखना क्रेता की जिम्मेदारी होगी, जिसका उल्लंघन होने पर महासंघ क्षतिपूर्ति का दावा कर सकेगा।
26. निविदाकार को निविदा प्रपत्र-01 के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
27. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा लिया जा सकेगा।
28. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को होगा, साथ ही निविदाकार की ऐसी निविदा निरस्त समझी जावेगी।
29. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए हुए निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को होगा।
30. निविदा प्रपत्र के साथ महासंघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्तें आवश्यक रूप से पढ़ कर समझ लें।
31. कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताएं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण नहीं होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा, एवं अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।
32. दुग्ध महासंघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष एवं संचालक मंडल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, इस बाबत निविदाकार को इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा कि वह इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है।
33. निविदाकार को निविदा के साथ इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

घोषणा

मेरे द्वारा बल्क दुग्ध विक्रय हेतु आवश्यक शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली हैं तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 33 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ तो मेरी निविदा निरस्त कर मेरी अर्नेस्ट मनी राजसात करने का प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

(आवेदक)

नाम :

पता :

प्रति,

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

बी.एम.वाय. चरोदा, जिला – दुर्ग (छ.ग.)

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्व. प्रमाणित)

महोदय,

बल्क दुग्ध विक्रय हेतु निविदा हेतु दिनांक 06.12.2019 को समाचार पत्र दैनिक भास्कर के संपूर्ण छत्तीसगढ़ संस्करण में प्रकाशित निविदा क्रमांक / 6687 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2019 उरला, दिनांक 05.12.2019 के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः एतद् द्वारा अमानत राशि रु. 10,000/- (अक्षरी रु. दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक जो कि बैंक शाखा का है, संलग्न किया जा रहा है।

तकनीकी अर्हताएं

क्रमांक	आवश्यक अर्हता	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व. प्रमाणित दस्तावेज
1.	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मंडल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4.	निविदाकर्ता का पेनकार्ड नंबर होना अनिवार्य।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5.	जी.एस.टी. नंबर होना अनिवार्य है।		जी.एस.टी. नंबर की छायाप्रति संलग्न करें।
6.	फूड लायसेंस नंबर होना अनिवार्य है।		फूड लायसेंस की छायाप्रति संलग्न करें।
7.	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चेक लगावें।
8.	वित्तीय वर्ष (कर निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17) आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी। (छायाप्रति संलग्न करें)
9.	इस निविदा में हमारे द्वारा बल्क दुग्ध क्रय हेतु फायनेन्शियल बिड में दरें प्रस्तुत की है। निविदा की शर्तों के अनुरूप निविदा में ई.एम.डी. हेतु रुपये 10,000 का डी.डी. संलग्न किया है।		भौतिक रूप से मूल डी.डी. संलग्न होना अनिवार्य है।

11.	निविदा फॉर्म रु. 1000/- का भुगतान कर क्रय करें।		भुगतान की रसीद / डी.डी. संलग्न करें।
12.	निविदाकार दुग्ध महासंघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार नहीं हैं। इस बाबत निविदाकार को शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।		इस हेतु रुपये 100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें।
13.	निविदाकार को निविदा के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।		इस हेतु रुपये 100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें।

नोट :-

- उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई है) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा निविदा स्वीकृत होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना अनिवार्य है।
- तकनीकी अर्हताओं संबंधित प्रपत्र क्रमांक 01 निविदा की शर्तें एवं प्रपत्र क्रमांक 02 पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षर कर आर्नेस्ट मनी डी.डी. के साथ एक लिफाफे में एवं निविदा दर संबंधी प्रपत्र क्रमांक 03 के माध्यम से प्रस्तुत करना होगी। तकनीकी अर्हताएं पूर्ण करने वाले निविदाकार की ही निविदा दरें खोली जावेगी। प्रपत्र क्रमांक 04 अनुबंध की शर्तों का प्रारूप पढ़कर समझकर मान्य होने की स्थिति में ही निविदा प्रस्तुत करें।
- उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

नाम

पता

.....

दूरभाष नंबर

मोबाईल नंबर

बल्क दूध विक्रय हेतु निविदा हेतु भाव पत्र

क्रमांक / 6687 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2019

उरला, दिनांक : 05.12.2019

1. प्रस्तावित दर :-

क्रमांक	कार्य विवरण	दर
1	शीतलीकृत दूध की दर प्रति किलो ठोस	अंको में (.....) शब्दों में (.....)
2	संसाधित दूध की दर प्रति किलो ठोस	अंको में (.....) शब्दों में (.....)

दरें एक्स दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र हैं ।

2. वांछित संयंत्र/शीत केन्द्र :-

क्रमांक	विवरण	उपलब्धता	वांछित संयंत्र/शीत केन्द्र
1	शीतलीकृत दूध	दुग्ध संयंत्र उरला,दुर्ग दुग्ध संयंत्र कोनी,बिलासपुर दुग्ध संयंत्र कोतरा रोड,रायगढ़ दुग्ध संयंत्र बाबू सेमरा,जगदलपुर दुग्ध शीत केन्द्र बसना, महासंमुद दुग्ध शीत केन्द्र मुजगहन, धमतरी दुग्ध शीत केन्द्र पखांजूर दुग्ध शीत केन्द्र भाठागॉव, धमतरी	
2	संसाधित दूध	दुग्ध संयंत्र उरला,दुर्ग दुग्ध संयंत्र कोनी,बिलासपुर दुग्ध संयंत्र कोतरा रोड,रायगढ़ दुग्ध संयंत्र बाबू सेमरा,जगदलपुर	

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

.....

बल्क दुग्ध विक्रय हेतु अनुबंध का प्रारूप

यह द्विपक्षीय अनुबंध आज दिनांकको निम्न पक्षों के मध्य निष्पादित किया जाता है।

1. प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा नामांकित प्रतिनिधि हैं। प्रथम पक्ष "देवभोग" दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के निर्माता एवं विपणनकर्ता है। प्रथम पक्ष को आगे विक्रेता के नाम से जाना जायेगा।
2. द्वितीय पक्ष मेसर्स संचालक
.....एक प्रोप्राइटरशिप / पार्टनरशिप फर्म है जिसमें दूसरे भागीदारहैं। यह संस्थानसे पंजीयन क्रमांकद्वारा पंजीकृत है तथा इसका जी.एस.टी. नंबर.....है। संस्थान का फूड लाइसेंस नंबर जो के नाम पर
..... निर्माता के रूप में पंजीकृत है। द्वितीय पक्ष की ओर से
..... ही समस्त निर्णय लेने हेतु अकेले अधिकृत रहेंगे। द्वितीय पक्ष को आगे क्रेता के नाम से जाना जायेगा।

यह अनुबंध विक्रेता द्वारा खुली निविदा के माध्यम से बल्क में दुग्ध विक्रय हेतु प्रकाशित सूचना के परिप्रेक्ष्य में क्रेता द्वारा दी गई निविदा एवं निगोसियेशन द्वारा निर्धारित दरों पर दुग्ध विक्रय हेतु निष्पादित किया जा रहा है। दूध की प्रदायगी शीतलीकृत दूध हेतु रु.....अक्षरी रु.....
.....प्रति किलो टोस तथा संसाधित दूध हेतु रुअक्षरी रु.....
प्रति किलो टोस होगी। दूध की प्रदायगी.....दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र से होगी।

इस अनुबंध में हस्ताक्षर कर रहें अधिकारियों को संबंधित संस्थाओं के संचालक मंडल/उच्चाधिकारियों से इस अनुबंध में हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त होना संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। अनुबंध निष्पादन के बाद यह समाप्त किये जाने तक पूरी तरह लागू रहेगा तथा संबंधित संस्थाओं में हस्ताक्षर कर रहें व्यक्तियों के पद/समान पद पर बाद में आने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह बंधनकारी होगा।

अनुबंध निम्न कडिंकाओं के साथ निष्पादित किया जाता है :-

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा अतिशेष दूध के बल्क में विक्रय हेतु खुली निविदा क्रमांक [6687 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2019](#) उरला, दिनांक 05.12.2019 द्वारा औसतन 4 प्रतिशत फैंट एवं 8.5 प्रतिशत एस.एन.एफ. के शीतलीकृत/संसाधित दूध को स्वयं की व्यवस्था से एक बार में न्यूनतम 1000 लीटर मात्रा क्रय किये जाने के लिए निविदा प्रकाशित की गई है। दूध की प्रदायगी संबंधित संयंत्र/शीत केन्द्र में अतिशेष दूध उपलब्ध होने पर ही की जावेगी।
2. यह अनुबंध बल्क दुग्ध विक्रय हेतु निविदा हेतु प्रकाशित निविदा [क्रमांक / 6687 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2019](#) उरला, दिनांक 05.12.2019 के संदर्भ में निष्पादित किया जा रहा है। अनुबंध अवधि में संपूर्ण कार्यवाही मूल निविदा में दर्ज नियम एवं शर्तों अनुसार ही संपादित होगी।
3. स्वीकृत दरों पर दिनांक 01.01.2020 से 31.03.2020 तक दूध की आपूर्ति की जावेगी। उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् आपसी सहमति से आगामी अवधि के लिये प्रदायगी एक बार में अधिकतम छः माह के लिये बढ़ाई जा सकेगी।

4. क्रेता द्वारा निम्नानुसार धरोहर राशि जमा की गई है
 1. ई.एम.डी. के रूप में जमा हुई रू 10,000 की राशि
 2. धनादेश क्रमांकद्वारा जमा राशि रू 1,90,000
 कुल राशि रूपये 2 लाख
 धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
 धरोहर राशि अनुबंध अवधि समाप्त होने पर समस्त लेखों का मिलान कर एक माह के भीतर वापस की जावेगी ।
5. क्रेता द्वारा अपनी स्वयं की उपयुक्त परिवहन व्यवस्था से दूध का परिवहन दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र से करना होगा। इस हेतु महासंघ द्वारा कोई परिवहन व्यय/राशि देय नहीं होगी। दूध का वास्तविक वजन तौल कौटा या अन्य उपयुक्त साधन से क्रेता या उसके प्रतिनिधि के समक्ष रिकार्ड किया जावेगा। इस पर कोई भी आपत्ति होने पर क्रेता को दूध संयंत्र/शीत केन्द्र परिसर से बाहर ले जाने के पूर्व इसे व्यक्त करना होगा। इसी प्रकार दूध की गुणवत्ता क्रेता/उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में देखी जावेगी। क्रेता/प्रतिनिधि के प्रदायगी के समय उपस्थित न होने पर महासंघ द्वारा दर्ज मात्रा/गुणवत्ता यथा फ़ैट, एस.एन.एफ. एसीडीटी. एम. बी.आर एवं अन्य किसी मानक पर असहमत होने पर क्रेता को दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र में ही दूध संयंत्र से बाहर निकलने से पूर्व आपत्ति दर्ज करानी होगी। दूध की सुपुर्दगी लेने एवं संयंत्र छोड़ने के बाद दूध की मात्रा और/या गुणवत्ता संबंधी कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। मात्रा के निर्धारण के लिये तौल काटा/अन्य व्यय क्रेता को वहन करने होंगे।
6. दूध की राशि/दर इसकी गुणवत्ता के आधार पर प्रति किलोग्राम ठोस पर तय की जावेगी।
7. कंडिका क्रमांक 6 पर दर्ज दर महासंघ को प्राप्त दूध का मूल्य है। क्रेता के कर एवं अन्य दायित्व की जवाबदेही उसकी स्वयं की है, एवं प्राप्त मूल्य में यह शामिल नहीं है। इस व्यवसाय हेतु वांछित लाइसेंस एवं अन्य वैधानिक अनुमोदन क्रेता को अपने व्यय से प्राप्त करने होंगे। महासंघ अनुबंध अवधि या इसके बाद भी किसी भी प्रकार की राशि/अर्थदण्ड/शास्ति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
8. दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र से निकलने के बाद किसी भी शासकीय संस्था या अन्य द्वारा सेम्पलिंग होने की स्थिति में जवाबदेही सिर्फ क्रेता की होगी। क्रेता महासंघ को ऐसी समस्त कार्यवाहियों से मुक्त रखेगा।
9. दुग्ध परिवहन की वाहनों से यदि संयंत्र/शीत केन्द्र में कोई नुकसान होता है, या किसी को इससे चोट लगती है, तो इसकी शत प्रतिशत भरपाई क्रेता द्वारा की जावेगी। क्रेता/प्रतिनिधि को या उनकी वाहन को संयंत्र/शीत केन्द्र परिसर में यदि कोई क्षति होती है, तो इसकी समस्त जवाबदारी क्रेता की होगी।
10. सक्षम अधिकारी की अनुमति से क्रेता यदि दुग्ध संयंत्र संयंत्र/शीत केन्द्र की किसी सामग्री यथा कैन, क्रेट एवं टूल्स आदि इस्तेमाल करता है तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्रेता की होगी। इस्तेमाल सामग्री कम प्राप्त होने या टूटने-फूटने पर इसकी सम्पूर्ण भरपाई क्रेता द्वारा की जावेगी।
11. महासंघ क्रेता की मांग अनुसार दूध प्रदाय करने के पूरे प्रयास करेगा, परंतु अपरिहार्य स्थिति में यदि मांग अनुसार दूध की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो क्रेता इस पर कोई क्षतिपूर्ति दावा नहीं कर सकेगा।
12. दूध की प्रदायगी दिन पाली में ही कार्यालयीन समय में की जावेगी। क्रेता को इस हेतु महासंघ के प्रतिनिधियों से सतत संपर्क में रहते हुये संयंत्र/शीत केन्द्र की सुविधा अनुसार टेंकर/वाहन संचालन की व्यवस्था करनी होगी।
13. दुग्ध परिवहन में लगी वाहनों तथा स्टाफ के समस्त कागजात वैधानिक रखना क्रेता की जिम्मेदारी होगी। इन कारणों से हुई किसी भी क्षति के लिये महासंघ जवाबदेय नहीं होगा।
14. क्रेता अपने स्टाफ के उचित आचरण के लिये उत्तरदायी होगा। अनुशासनहीनता की स्थिति में महासंघ स्वविवेक से अर्थदण्ड/अन्य कार्यवाही कर सकेगा, जिसे मानना क्रेता के लिए

बंधनकारी होगा। महासंघ द्वारा आपत्ति व्यक्त करने पर क्रेता को तत्काल अपना स्टाफ बदलना आवश्यक होगा।

15. क्रेता को अपने मांग अनुसार दूध की राशि अनुमानित दर पर गणना करते हुये दूध प्रदायगी से पूर्व जमा करनी होगी। व्यवहारिक रूप से प्रदायगी के समय मात्रा एवं गुणवत्ता में अंतर पर इसकी राशि अगली प्रदायगी में समायोजित की जावेगी।
16. क्रेता को दूध की राशि इस प्रकार जमा करनी होगी कि दूध प्रदायगी से पूर्व राशि प्राप्त होना प्रमाणित हो सके। चेक द्वारा भुगतान किये जाने पर दूध की प्रदायगी चेक के रिलाइजेशन के बाद होगी।
17. क्रेता महासंघ से समस्त पत्र व्यवहार स्वयं करेगा एवं महासंघ द्वारा बुलाये जाने पर दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होगा। आवश्यक पत्राचार के लिये अनुबंध में दर्ज क्रेता के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया पत्र सूचना प्राप्त होने के प्रमाण के रूप में माना जावेगा।
18. संपूर्ण व्यवसाय अवधि एवं इसके बाद भी अनुबंध की गोपनीयता रखना क्रेता की जिम्मेदारी होगी, जिसका उल्लंघन होने पर महासंघ क्षतिपूर्ति का दावा कर सकेगा।
19. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा लिया जा सकेगा।
20. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को होगा, साथ ही निविदाकार की ऐसी निविदा निरस्त समझी जावेगी।
21. इस अनुबंध को उभय पक्ष द्वारा एक माह की नोटिस देकर समाप्त कर सकेगें, जबकि महासंघ निविदा नियम/शर्तों या अनुबंध की कंडिकाओं का पालन न होने की स्थिति में अथवा अपने व्यवसाय में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकेगा।
22. क्रेता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे महासंघ का व्यवसाय प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो या इसकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल असर पड़े। ऐसी स्थिति पाये जाने पर महासंघ धरोहर राशि राजसात करते हुये तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त कर सकेगा।
23. आवश्यकता प्रतिपादित होने पर अधिकतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से अनुबंध अवधि में निगोसिएशन कर दरों का पुनर्निर्धारण किया जा सकेगा।
24. कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताएं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण नहीं होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा, एवं अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।
25. अनुबंध की कंडिकाओं में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने का अधिकार महासंघ को होगा।
26. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को आबीट्रेटर नियुक्त किया जावेगा, जिसकी संपूर्ण कार्यवाही मध्यस्थता, सुलह एवं अनुकल्पी विवाद विधि-1996 (ARBITRATION AND CONCILIATION ACT-1996) के अनुसार होगी। आदेश के पश्चात पीड़ित पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को अपील कर सकेगा, जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनो पक्षकारों का बंधनकारी होगा। न्यायिक प्रकरण की स्थिति में न्यायक्षेत्र जिला एवं सत्र न्यायालय होगा रायपुर होगा एवं माननीय न्यायालय का आदेश दोनो पक्षकारों पर बंधनकारी होगा।

यह अनुबंध पत्र उभय पक्ष ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर निष्पादित किया है। अनुबंध अवधि की समाप्ति तक प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार द्वितीय पक्ष द्वारा संतोषप्रद कार्य करने पर "नो डयूज" प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सभी प्रकार के देयकों की वसूली उपरांत प्रथम पक्ष द्वारा अमानत राशि वापस की जा सकेगी। अनुबंध की किसी भी कंडिका का द्वितीय पक्ष पालन न करने पर प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध समाप्त कर अमानत राशि राजसात करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। उभय पक्ष ने

यह अनुबंध पत्र की शर्तें भली प्रकार अध्ययन करके स्वेच्छा से संपादित किया है, जो प्रमाण रहें एवं समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

प्रबंध संचालक

.....

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी

.....

दुग्ध महासंघ मर्यादित

.....

हस्ताक्षर साक्ष्य : 1

नाम :

नाम :

पता :

पता :

हस्ताक्षर साक्ष्य : 2

नाम :

नाम :

पता :

पता :